


बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

सूचना

ग्रामीण विकास विभाग में लम्बित वादों में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य अधिवक्ता / सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी की आवश्यकता है। इस हेतु अधिवक्ता / सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी का पैनल तैयार किया जाना है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि जैसे सुयोग्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी जिन्हें विधि मामलों में कार्य करने का अनुभव हो और जिन्हें अँग्रेजी भाषा का ज्ञान हो तथा सुयोग्य अधिवक्ता अपना जीवन वृत्त (Bio-data) विभाग में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि- 05.01.2018 है।

प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए, यदि तथ्य विवरणी विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ₹1200/- तथा टंकण के लिए ₹300/- भुगतये होगा। यह राशि राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के आलोक में घट-बढ़ सकती है।


(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।